# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर जिला उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S**

**राजस्व वाद संख्या :— 82/23 (प्रा.पत्र)**

**GCMS No :— 2023/305**

**अनवान**

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री प्रेमलाल जाति ब्राह्मण निवासी केदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री गेहरीलाल पुत्र श्री वजेराम जाति ब्राह्मण निवासी केदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री मदनलाल पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी केदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................प्रार्थी

**बनाम्**

1. श्री चतरा पुत्र नारायण जाति गायरी निवासी गाडरियावास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती चान्दी बाई पत्नी श्री नवला जाति गायरी निवासी गाडरियावास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री नक्तर पुत्र नवला जाति गायरी निवासी गाडरियावास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री नानुराम पुत्र प्यारा जाति गायरी निवासी गाडरियावास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..............विपक्षीगण

उपस्थित—

1. श्री कमलेश कुमार खटिक, अधिवक्ता विपक्षी।
2. श्री दीपक आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी।

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

## —: निर्णय :—

**दिनांक 27.05.2025**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा केदारिया पटवार हल्का केदारिया भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राजस्थान में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 786, 787, 793 [illegible] रकबा 0.9300 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों [illegible] से दर्ज है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर उपयोग [illegible] रहें है। [illegible] की खातेदारी आराजी न. 776, 778, 779, 785 किता [illegible] रकबा 0.9700 है. भूमि [illegible] है जो विपक्षीगणों की वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोन्धित की जा रही है। प्रार्थीगणो की कलम न. 1 में वर्णित आराजी न. 786, 787, 793 किता 3 रकबा 0.9300 है. में जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगणों की कलम न. 2 में वर्णित आराजी न. 776, 778, 779, 785 किता 4 रकबा 0.9700 है. भूमि में मौके पर 10 फिट चौडा रास्ता अवस्थित है जो प्रार्थीगण की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की भूमि पहुंचने के लिए एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारों के समय से आते जाते चले आ रहें है तथा इसी रास्ते से बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रक आदि भी लाते ले जाते चले आ रहे है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदीप से अपने बाप दादाओ के समय से करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण इसी एक मात्र रास्ते से होकर अपनी आराजीयात में आते जाते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आराजी न. 786, 787, 793 मे आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी 776, 778, 779, 785 में से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 3 का जवाब का अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 5 द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2, 4 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह गलत है कि प्रार्थीगणों द्वारा कलम न. 3 में झूठे तथ्य अंकित कर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है यह कहना सर्वथा गलत है कि प्रार्थीगणों की आराजी न. 786, 787, 793 किता 3 रकबा 0.9300 हे. भूमि में आने जाने के लिये विपक्षीगणों की कलम न. 2 में वर्णित आराजी न. 776, 778, 779, 785 किता 4 रकबा 0.9700 है. भूमि में कोई रास्ता हो। अपितु विपक्षीगणों की कलम न. 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगणों की भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि प्रार्थीगणों की कलम न. 1 में वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता ग्राम केदारिया पटवार हल्का केदारिया की आराजी खसरा न. 817, 816, 815, 814, 794 में स्थित है परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी न. 817, 816, 815, 814, 794 में से 480 वर्ग मीटर का रास्ता प्रस्तावित किया तथा बताया की प्रार्थीगण की खातेदारी तक आने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी तक जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्युन्तम दूरी वाला है इसके अलावा न्यूनतम दूरी वाला ... उपलब्ध नहीं हो सकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 10 फीट है ... डि.एल.सी. दर 930688 /- रु है के अनुसार जमा योग्य राशि 89350 ... प्रस्तावित किया है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी न. 786, 787, 793 किता 3 रकबा 0.9300 हे. भूमि में आने-जाने,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रक ले जाने के लिये विपक्षी की आ.न. 776, 778, 779, 785 किता 4 रकबा 0.9700 है. में से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये बताया कि प्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी न. 786, 787, 793 में आने–जाने हेतु ग्राम केदारिया की आराजी न. 817, 816, 815, 814, 794 में रास्ता स्थित है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार के रास्ते की मांग करने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करते है तो पाते है कि पटवारी हल्का द्वारा अपने मौके पर्चे में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी न. 776, 778, 779, 785 में से रास्ता चाहा गया है आराजी न. 777 मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग किया जा सहा है जो कि राजस्व रेकर्ड अनुसार किशनलाल, वसन्तीबाई, संपतबाई पिता श्रीलाल, कमलाबाई पत्नी श्रीलाल हिस्सा 1/3, खुमाण पुत्र गोरधन हिस्सा 1/3, हिरालाल पुत्र गोरधन हिस्सा 1/3 ब्राह्मम्ण सा. की खातेदारी होकर रकबा 0.1000 है. किस्म बा.द्वि. दर्ज है। उक्त आराजीयात में रास्ता देने पर रास्ते की लम्बाई लगभग 200 मी. पडती है जबकि एक अन्य रास्ता आराजी न. 823 तक बिलानाम दर्ज है। यहां से आ.न. 817, 816, 815, 814 व 794 में से रास्ता दिये जाने पर लम्बाई लगभग 160मी. है जो के निकटतम दूरी का रास्ता है। तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का द्वारा आ.न. 817, 816, 815, 814, 794 में से 480 वर्ग मी. का रास्ता प्रस्तावित किया गया जो न्यूनतम दूरी वाला रास्ता बताया जबकि प्रार्थीगण द्वारा आराजी न. 776, 778, 779, 785 में से रास्ता चाहा गया। उक्त रास्ता लम्बाई में अधिक है। प्रार्थीगण द्वारा आराजीन. 817, 816, 815, 814, 794 में रास्ता नहीं चाहा गया है जो पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बाई में अधिक है जबकि वैकल्पिक न्यूनतम दूरी वाला मार्ग उपलब्ध है जिसे प्रार्थीगण द्वारा नहीं चाहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आ.न. 776, 778, 779, 785 में से जो रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested